an>

Title: Need to take strict action against the religious group working against the freedom under the constituion.

श्री ओम बिरला (कोटा) : महोदया, लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वह किसी व्यक्ति की धार्मिक और अभिव्यक्ति की आजादी का हनन करे, अगर वह संविधान के दायरे में है। लेकिन हम इस देश में रोज़ देख रहे हैं कि देश के कट्टरपंथियों द्वारा देश में संविधान का राज होने के बाद भी रोज नये फतवे जारी कर दिए जाते हैं। अभी हाल ही में असम की 16 साल की एक बच्ची नाईदा के खिलाफ 46 लोगों ने फतवे जारी किए। मेरा निवेदन है कि इस देश के संविधान के अंतर्गत व्यक्ति की धार्मिक और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है। इतना ही नहीं इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास, विचार और पसंद की जिंदगी जीने का अधिकार है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस देश के अंदर किसी भी धर्म के कट्टपंथियों द्वारा संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ जो फतवे जारी किए जाते हैं, सरकार उनके खिलाफ एक्शन प्लान बनाए ताकि इस देश के नागरिकों की धार्मिक और अभिव्यक्ति की स्वतंतृता का कोई कट्टपंथी हनन न कर सके।

माननीय अध्यक्ष :

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत,

श्री राहुल कास्वां,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री रोड़मल नागर,

श्री राजेन्द्र अग्रवाल और

श्री देवजी एम. पटेल को श्री ओम बिरला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।